CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

❐ वर्ष- 21 ❐ अंक-347 ❐ रायपुर, शुक्रवार, 11 जनवरी 2019 ❐ पृष्ठ-8 ❐ मूल्य- 2 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

पार्टियों को मतदान से 72 घंटे पहले ही जारी करना होगा घोषणा पत्र : चुनाव आयोग

नई दिल्ली, 11 जनवरी (एजेंसी)। चुनाव आयोग द्वारा गठित कमेटी ने आदर्श आचार संहिता में संशोधन करने की सिफारिशें की है। इन सिफारिशों के मुताबिक पार्टियों को पहले चरण के मतदान समाप्ति के 72 घंटे पहले अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करना होगा।

आदर्श आचार संहिता में संशोधन

कमेटी ने इलेक्शन साइलेंस यानी चुनावी प्रचार पर रोक का दायरा सोशल माडिया, इंटरनेट, केबल चैनल्स और प्रिंट मीडिया के ऑनलाइन संस्करणों तक बढ़ाने की बात कही है। साथ ही सोशल मीडिया एजेंसी को राजनीतिक प्रचार की चीजों को अन्य सामग्री से अलग करके पार्टी और उम्मीदवार के इन माध्यमों पर खर्च किए पैसे का हिसाब रखने को कहा गया है।

चुनाव आयोग ने इस 14 सदस्यों वाली कमेटी का गठन पिछले साल मीडिया के प्रसार को देखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 126 की समीक्षा के लिए किया था। गुरूवार को यह रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को सौंप दी गई। इस कमेटी की अध्यक्षता उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने की है। कमेटी में आयोग के नौ अन्य सदस्यों के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक- एक नामित सदस्य शामिल थे।

वर्तमान में घोषणापत्र जारी करने को लेकर कोई बंदिश नहीं है। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपना घोषणापत्र पहले चरण के मतदान वाले दिन जारी किया था। उस वक्त इस घटना को कांग्रेस ने मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास बताकर आयोग से शिकायत भी की थी मगर घोषणापत्र को लेकर कोई कानून नहीं होने के कारण आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सका था। हालांकि कुछ सिफारिशों को लागू करने से पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना होगा। जिसके लिए आयोग को कानून मंत्रालय को पत्र लिखना पड़ेगा।

पुन्नी मेला महोत्सव से छग को मिलेगी नई पहचान

हाईवे चैनल

रायपुर, 11 जनवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कुंभ से छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान मिटटे जा रही थी। इसलिये यह निर्णय किया गया कि राजिम कुंभ के स्थान पर पुन्नी मेला आयोजित किया जाएगा जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप है। इस निर्णय से न केवल राज्य की पहचान को बढ़ाया जा सकेगा बल्कि मिट रहे नामों को वापिस लाया जा सकेगा। सीबीआई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का कहना था कि जिसे मौत का डर नहीं उसे सीबीआई से क्या डर लगेगा। दरअसल मुख्यमंत्री प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया के समक्ष दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कह रहे थे। जिसमें रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार को सीबीआई से डर लगने लगा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी सीबीआई को लेकर किया गया फैसला नहीं बदला जाएगा। मख्यमंत्री ने कहा कि स्काई वॉक का फैसला सभी वर्गों से सुझाव लेने के बाद किया जाएगा क्योंकि सरकार का काफी पैसा स्काई वॉक पर खर्च हो चुका है।

मौत से नहीं डरने वाला सीबीआई से क्या डरेगा- मुख्यमंत्री

मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री के साथ संचार विभाग के प्रमुख शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि पुन्नी मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये छत्तीसगढ़ की मेहनतकश जनता का उत्सव है। सदियों से हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक रहा है। इस पर तत्कालीन भाजपा सरकार ने तब हमला किया जब उसने तमाम धार्मिक, पौराणिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए इसे कथित राजिम कुंभ में परिवर्तित कर दिया था। नाम परिवर्तन की गैर जरूरी राजनीति कर जनता के असली सवालों से ध्यान भटकाने का काम भाजपा ने पहली बार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इसी बात से भरा है। भाजपा ने लोक संस्कृति को नष्ट कर कृत्रिम सांस्कृतिक पहचान खड़ा करने का काम किया था और यह दरअसल छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर हमला था। केवल इतना ही नहीं इस कथित कुम्भ मेले के नाम पर तत्कालीन भाजपा सरकार हर साल करोड़ों रुपयों का अनुत्पादक व्यय करती रही है और जनता के धन को उस पवित्र नदी की रेत में बहाती रही है। अब कांग्रेस की सरकार ने इस लोकोत्सव को उसकी गरिमा ही नहीं लौटाई है बल्कि मेला-मड़ई की छत्तीसगढ़ की हजारों सालो से चली आ रही समृद्ध गौरवशाली परंपरा को सहेजने का भी महत्वपूर्ण काम किया है । इस बात के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और गृह,लोकनिर्माण एवं कला संस्कृति मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू का हम आभार व्यक्त करते है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुरूप यह फैसला किया।

साहित्यकारों, कलाकारों और संस्कृति से जुड़े लोगो ने भी कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का व्यापक स्वागत किया है। भारत में संविधान का संघीय ढांचा है। इसका अनुरूप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अधिकार स्पष्ट किये गये है। सीबीआई केंद्र सरकार की एजेन्सी है जिसे किसी भी राज्य में जांच करने के पहले राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक एवं संविधान के अनुसार बंधनकारी है। भाजपा की सरकार ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में किसी भी जांच के पहले अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया था। केंद्र सरकार की एजेन्सी को भी छत्तीसगढ़ में किसी भी जांच के पहले अनुमति प्राप्त करने को बाध्यता को शिथिल कर दिया था। कांग्रेस सरकार के राज्य सरकार की अनुमति की इसी जरूरत को फिर से आवश्यक किया है। पत्रकारवार्ता में अमरजीत भगत, फूलोदेवी नेताम, किरणमयी नायक, आर.पी. सिंह, सुशील आनंद शुक्ला, घनश्याम राजू तिवारी, धनंजय सिंह ठाकुर आदि उपस्थित थे।

ब्रेकिंग न्यूज

एम नागेश्वर राव को मिला सीबीआई का कार्यभार

नई दिल्ली, 11 जनवरी (एजेंसी)। आलोक वर्मा के तबादले के बाद एम नागेश्वर राव को सीबीआई निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वह सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक थे। गुरुवार को जारी हुए सरकारी आदेश के अनुसार, 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी वर्मा को गृह मंत्रालय के तहत अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स का निदेशक नियुक्त बनाया गया है। इससे पहले राव को सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा के बीच की बहस सार्वजनिक होने के बाद अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वर्मा और अस्थाना के बीच बढ़ते विवाद के बाद 23 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था। सरकार के इस फैसले को वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को अदालत ने उन्हें बहाल किया था। जिसके बाद वह बुधवार को सीबीआई दफ्तर गए थे। राव 1986 बैच के ओड़िशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।

मेघालय खदान में फंसे 15 मजदूर, सुप्रीम कोर्ट को अब भी है चमत्कार की उम्मीद

नई दिल्ली, 11 जनवरी (एजेंसी)। पिछले साल 13 दिसंबर को मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स की अवैध खदान में 15 खनिक फंस गए थे। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि वह विशेषज्ञों की मदद ले और खनिकों के बचाव कार्य की कोशिशों को जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जो लोग अवैध खदान चला रहे थे उनके खिलाफ और जिन अधिकारियों ने अवैध खदान को इजाजत दी उनपर कार्रवाई हुई? जस्टिस एके सीकरी के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा, अपने बचाव कार्य को जारी रखें। क्या होगा अगर उनमें से कुछ या सभी अभी भी जिंदा हुए तो? चमत्कार होते रहते हैं। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय को यह जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खदान में फंसे 15 खनिकों को बचाने के अभियान में नौसेना ने पांच रिमोट संचालित उपकरण लगाए गए हैं।

घटिया हिप इंप्लांट के लिए देना होगा 1.22 करोड़ तक मुआवजा

नई दिल्ली, 11 जनवरी (एजेंसी)। । अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को अब भारत सरकार की ओर से तय किए मुआवजे के आधार पर ही घटिया हिप इंप्लांट मामले में मरीजों को भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन को घटिया हिप इंप्लांट के शिकार हुए मरीजों को हर हाल में मुआवजा देना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने कंपनी को 3 लाख रुपये से लेकर 1.22 करोड़ रुपये तक का मुआवजा देना को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना है।

जॉनसन एंड जॉनसन को कोर्ट से झटका

घटिया हिप इंप्लांट केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कंपनी ने देशभर में सैकड़ों हिप इंप्लान्ट सर्जरी करवाई, जिनमें गड़बड़ियां थीं और कंपनी ने इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। साथ ही ये भी रिपोर्ट है कि इस सर्जरी में गड़बड़ी की वजह से चार लोगों की मौत भी हो गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की ओर से खराब हिप इंप्लांट डिवाइस बेचे जाने की शिकायतों की जांच करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी। इस कमेटी की जांच में ही ये हैरान करने वाले तथ्य सामने आए थे. कमिटी का गठन 8 फरवरी, 2017 को किया गया था। कमिटी ने 19 फरवरी, 2018 को अपनी रिपोर्ट पेश दी थी।

कंपनी ने भारत में गैरकानूनी रूप से की बिक्री- याचिका में बताया गया है कि इन खराब और खतरनाक हिप इम्प्लांट्स को कंपनी ने दोषपूर्ण मानते हुए 2010 में खुद ही वापस ले लिया था। लेकिन इससे पहले कंपनी ने 2005 से 2006 के दौरान गैरकानूनी रूप से इनकी भारत में बिक्री की। क्योंकि कंपनी ने छह दिसंबर, 2006 को हिप इम्प्लांट के आयात लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और 15 दिसंबर, 2006 को उसे लाइसेंस प्रदान किया गया था। उससे पहले कंपनी बिना आयात लाइसेंस के भारत में इनकी बिक्री करती रही थी।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को मिली कांसुलर एक्सेस

नई दिल्ली, 11 जनवरी (एजेंसी)। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत स्थित ब्रिटिश उच्चायोग से कांसुलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) मिल गई है। मिशेल से मुलाकात के बाद उच्चायोग ने कहा, हमारा स्टाफ एक ब्रिटिश नागरिक का समर्थन कर रहा है जिसे भारत ने हिरासत में लिया है और हम उसकी सलामती देखने के लिए आए थे। इससे पहले 10 जनवरी को मिशेल ने सीबीआई की विशेष अदालत में आवेदन करके अपने परिवार, दोस्तों और अपने वकीलों को अंतरराष्ट्रीय कॉल करने की अनुमति मांगी थी। जिसपर कोर्ट ने जेल अधीक्षक से 14 जनवरी को रिपोर्ट देने को कहा है। मिशेल को पांच दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में याचिका देकर कहा था कि मिशेल को दूसरे रक्षा सौदे में भी रकम मिली जिसकी जांच की जानी है। अदालत ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे से जुड़े सीबीआई के मामले में उसे 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसे 22 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और तब से अदालती आदेश पर एजेंसी की हिरासत में था। मिशेल को 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे के सिलसिले में भारत लाया गया है। यह सौदा यूपीए सरकार के समय हुआ था।

गणित विषय के लिए मिलेंगे दो विकल्प

नई दिल्ली, 11 जनवरी (एजेंसी)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई ने दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए गणित के 2 स्तरों की घोषणा करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। यह उन छात्रों के लिए हैं जो इस विषय को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए एक बेसिक और एक मानक गणित शुरू करने का फैसला किया है।

सीबीएसई के 10वीं कक्षा के लिए एक बड़ा फैसला

बोर्ड द्वारा आज जारी एक परिपत्र में, सीबीएसई ने छात्रों को गणित बेसिक और गणित मानक पर परीक्षण करने की अपनी योजना साझा की। गणित का वर्तमान स्तर और पाठ्यक्रम दोनों समान रहेगा। खास अंतर यह है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा।

एलओसी भरने के समय छात्रों के पास गणित मानक (सामान्य स्तर) या गणित बेसिक के लिए चयन करने का विकल्प होगा।गणित मानक उन छात्रों के लिए है जो उच्च कक्षाओं में विषयों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं जबकि गणित का मूल उन छात्रों के लिए है जो ऐसा नहीं करना चाहते।

भाजपा नेता के ठिकानों पर आयकर का छापा

नई दिल्ली, 11 जनवरी (एजेंसी)। भाजपा नेता अनिल गोयल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी करने पहुंची। शुक्रवार सुबह राजधानी देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार, रुड़की समेत कई अन्य स्थानों पर उनके प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी शुरू की है।

दस्तावेज खंगालने में जुटी

अनिल गोयल, सुनील गोयल, नरेश गर्ग, शशि गर्ग के हार्डवेयर ट्रेडिंग, प्लाइवुड और एल्युमीनियम पैनल्स का एमएफजी, रेडीमेड कपड़ों, एलएमडी एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट (क्वांटम यूनिवर्सिटी, रुड़की), प्लाइवुड का एमएफजी, लकड़ी के उत्पाद आदि 13 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी चल रही है। टीम उनकी आय व्यय और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। जानकारी के अनुसार, देहरादून में डिस्पेंसरी रोड स्थित क्वालिटी हार्डवेयर, उमंग साड़ी शॉप, रुड़की के क्वांटम इंस्टीट्यूट में टीम का सर्वे जारी है।

खाते में आएंगे 30 हजार

नई दिल्ली, 11 जनवरी (एजेंसी)। गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ देने के बाद मोदी सरकार अब किसानों, बेरोजगारों और गरीबों के लिए जल्द ही खजाना खोलने जा रही है। केंद्र सरकार, अगली कैबिनेट बैठक में इस बात का एलान कर सकती है। यह बैठक मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद 16 जनवरी को होगी।

मकर संक्रांति के बाद किसानों गरीबों को मिलेगा तोहफा

खाते में एकमुश्त ट्रांसफर होगी रकम- केंद्र सरकार मकर संक्रांति के बाद एक और मास्टर स्ट्रोक देने जा रही है। कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार सभी तरह के किसानों, बेरोजगारों और गरीब लोगों को एक मुश्त 30 हजार रुपये की मदद देने का एलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मदद को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम (यूबीआई) के तहत दिया जाएगा।

खत्म हो जाएगी सब्सिडी- हालांकि इस स्कीम के लागू होने के बाद लोगों को राशन और एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। इसमें वो किसान भी शामिल होंगे, जो दूसरों के यहां मजदूरी करते हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को खेती के लिए अब सरकार सीधे खाते में पैसे देगी। खास बात यह है कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, सरकार उन्हें भी इस स्कीम में शामिल करके फायदा पहुंचाएगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर सभी की टिकी निगाहें

ननकीराम कंवर, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर के नामों पर चर्चा

हाईवे चैनल

रायपुर, 11 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद से प्रदेश अध्यक्ष पद रिक्त है। इसमें सभी की निगाहें टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद में चुने जाने के बाद चर्चा और तेज हो गई है। पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पराजित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह कवायद तेज हो गई है क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले है। भाजपा विधानसभा की हार को भुलाकर लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है। यही कारण है कि जो नियुक्तियां सामने आ रही है वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखी जा रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के लिये जिन नामों पर अधिक चर्चाएं है उसमें ननकीराम कंवर, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर के नामों पर

चर्चा है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा गल्तियों से सबक लेते हुए लोकसभा चुनाव के पहले हर कदम काफी तैयारी के साथ उठा रही है। केंद्र की भाजपा शासित सरकार के जो निर्णय सामने आये है उनमें लोकसभा की झलक दिखने लगी है।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव अप्रैल या मई माह में संभावित है। इसमें पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रभारी की घोषणा कर दी है और अनिल जैन को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नामों के ऐलान किया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले डॉ. रमन सिंह के नाम की चर्चा चल रही थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। क्योंकि प्रदेश में डॉ. रमन सिंह के सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले मंत्री राजेश मूणत पिछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए है। ऐसे में रमन सिंह के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद यह संभावना बढ़ जाती है कि उनके निकटतम को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंप दी जाए। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चुनाव के दौरान यह देखने में आया कि डॉ. रमन सिंह की पहल पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जबकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लेकर काफी संभावनाएं दिखलाई पड़ रही थी। इसके अलावा प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में भाजपा को सर्वाधिक सीट में जीत दर्ज करने के लिये आदिवासी क्षेत्रों को विशेष महत्व देना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कर तीन चौथाई बहुमत के साथ सत्ता में वापिस हुई है। यही नहीं भाजपा के लिये अब तब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सदमे से कम नहीं है। क्योंकि जिन चुनाव में भाजपा चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही थी वहां वह विपक्ष में बैठने की हैसियत में नहीं बची। ऐसे में खोई प्रतिष्ठा को हासिल करने के लिये भाजपा को प्रदेश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो लोकसभा में अधिकांश सीटों पर विजयश्री दिला सके।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, छत्तीसगढ़ में सीबीआई बेन हो गई है।

चुहिया- हां जी, अभी तो देखते रहिए बदलाव।